# झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार

# अपराध से पीड़ितों को मुआवजा (प्रतिकर)

**( दंड प्रक्रिया संहिता के धारा 357 तथा 357-क के अनुसार )**

## दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357

जब न्यायालय जुर्माने की सजा सुनाती है या मृत्युदंड समेत ऐसी सजा सुनाती है, जिसमें जुर्माना अदा करना भी शामिल है, तब यह आदेश दे सकती है कि जुर्माने की पूरी रकम या उसका कोई भाग निम्नरूप से इस्तेमाल होगा:-

1. मुकदमा में हुए खर्च के भुगतान में,
2. किसी व्यक्ति को हुए चाट अथवा क्षति के लिए मुआवजा के रूप में अगर वह मुआवजा दीवानी अदालत द्वारा देने का आदेश दिया जा सकता है तब।
3. अगर कोई व्यक्ति हत्या या उक्त हत्या के उकसाने वाले के रूप में सजा पाता है तो तब उस हत्या से हुई क्षति के मुआवजा के रूप में। यह मुआवजा उसे मिलेगा जो घातक दुर्घटना अधिनियम (Fatal Accidents Act 1855) के तहत क्षतिपूर्ति का हकदार है।
4. चोरी अथवा चोरी की गई वस्तु अथवा धोखाघड़ी या चोरी का समान रखने या दुरूपयोग करने से सम्बन्धित मामलों में सजा मिली है तो सद्भावनापूर्ण खरीददार को क्षतिपूर्ति में अगर वह वस्तु उसके हकदार को लौटाई जाती है।
5. अगर जुर्माना की सजा के विरूद्ध अपील का प्रावधान है तो मुआवजा का भुगतान अपील करने की अवधि बीतने तक नही की जाएगी तथा अगर अपील दायर किया जाता है, तब अपील का निष्पादन होने तक मुआवजा की रकम का भुगतान नही किया जाएगा।
6. जब न्यायालय सजा सुनाती है मगर जुर्माना की सजा नहीं सुनाती है तब दोषसिद्ध को आदेश दे सकती है कि वह पीड़ित को हुए चोट या क्षति के लिए उस निश्चित रकम का भुगतान करें जो निर्णय में निश्चित की गई है।
7. इस धारा के अंतर्गत आदेश अपीलीय अदालत भी दे सकती है अथवा माननीय उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय रिवीजन कोर्ट के रूप में भी दे सकती है।
8. बाद में दायर किये गये दीवानी मामले में क्षतिपूर्ति की रकम के निर्धारण में इस धारा के तहत दिये मुआवजा का संज्ञान लिया जायेगा।

## धारा 357 ( क ) दण्ड प्रक्रिया संहिता

1. प्रत्येक राज्य सरकार, केन्द्र सरकार के साथ सामजस्य स्थापित कर पीड़ित अथवा पीड़ित के आश्रितों को जिन्होनें अपराध की घटना के कारण नुकसान या चोट सहा है तथा उन्हें पुनर्वास की जरूरत है - प्रतिकर (मुआवजा) वास्ते एक योजना तैयार करेगें।
2. जब भी न्यायालय द्वारा प्रतिकर (मुआवजा) देने के लिए अनुशंसा होती है जब जिला विधिक सेवा प्राधिकार या राज्य विधिक सेवा प्राधिकार जिन्हें अनुशंसा की गई है वह प्रतिकर (मुआवजा) की राशि का निर्धारण करेंगे।
3. मुकदमें के विचारण के पश्चात् अगर न्यायालय पाती है है कि धारा 357, दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत दिया गया मुआवजा अप्रर्याप्त है पीड़ित के पुनर्वास हेतु तब पीड़ित को प्रतिकर हेतु अनुशंसा कर सकती है। यह अनुशंसा न्यायालय अभियुक्त के दोषमुक्त अथवा आरोपमुक्त होने की स्थिति में भी कर सकती है।
4. जहाँ अपराधी की पहचान न हो सकी हो, परन्तु पीड़ित की पहचान हो चुकी हो और विचारण नही आरम्भ हुआ हो, वहाँ पीड़ित अथवा उसका आश्रित जिला या राज्य विधिक सेवा प्राधिकार को मुआवजा हेतु आवेदन दे सकता है।
5. न्यायालय से अनुशंसा प्राप्त होने पर अथवा पीड़ित या पीड़िता के आश्रित से आवेदन पत्र प्राप्त होने पर जिला अथवा राज्य विधिक सेवा प्राधिकार दो माह के भीतर उचित जाँच कर मुआवजा देने का आदेश करेंगें।
6. जिला अथवा राज्य विधिक सेवा प्राधिकार पीड़ित की पीड़ा कम करने हेतु उसे तत्कालिक रूप से प्राथमिक चिकित्सकीय सहायता तथा मुफ्त चिकित्सा लाभ या अन्य कोई भी उचित/जरूरी अंतरिम सहायता को देने का आदेश पारित कर सकती है। यदि इस आशय का प्रमाण पत्र थाना प्रभारी स्तर (या उच्च स्तर) के पुलिस पदाधिकारी या संबंधित क्षेत्र के दण्डाधिकारी द्वारा प्रदान किया गया है।

# झारखण्ड पीड़ित प्रतिकर (मुआवजा) योजना, वर्ष 2012

## योजना क्या है :-

इस योजना के अंतर्गत पीड़ित या उनके आश्रित जिन्होंने अपराध के कारण क्षतिया चोट सहा हो और जिन्हें पुनर्वास की आवश्यकता है उनके मुआवजा के लिए धनराशि का प्रबंध किया गया है।

## पीड़ित कौन है :-

पीड़ित वह व्यक्ति है जो अपराध के कारण स्वयं क्षति या चोट सहा हो और जिसे पुनर्वास की आवश्यकता है। पीड़ित के अंतर्गत उसके परिवार के सदस्य जो उस पर आश्रित है, वह भी शामिल है।

## मुआवजा पाने के लिए अर्हता :-

1. यदि अपराधी का पता न चला है या उसकी पहचान नहीं की जा सकी है परन्तु पीड़ित का पहचान हो चुका है और न्यायालय में विचारण शुरू नहीं हुआ है तो वैसे पीड़ित भी प्रतिकर पाने हेतु धारा 357(क)(4) दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत आवेदन दे सकते हैं।
2. पीड़ित / दावेदार अपराध की सूचना अपराध घटित होने के 48 घंटे के अंदर उस क्षेत्र के थाना प्रभारी या किसी वरीय पुलिस पदाधिकारी या कार्यपालक दण्डाधिकारी या न्यायिक दण्डाधिकारी को दे दिया हो। मगर उचित कारण दर्शाये जाने पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार सूचना देने में हुए विलम्ब के शिथिल कर सकता है।
3. पीड़ित / दावेदार उस मुकदमे के अनुसंधान एवं विचारण में पुलिस एवं अभियोजन का सहयोग करता है।
4. धारा 357(क) (4) दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत पीड़ित या उसके आश्रित के द्वारा कोई भी मुआवजा का दावा अपराध की घटना घटने के छह माह के भीतर करना होगा। इसके पश्चात् किया गया दावा मान्य नहीं होगा परन्तु उचित कारण दर्शाये जाने पर ऐसे विलम्ब को जिला विधिक सेवा प्राधिकार शिथिल कर सकता है।

## प्रतिकर ( मुआवजा ) प्राप्त करने की प्रक्रिया :-

1. प्रतिकर (मुआवजा) पाने हेतु पीड़ित जिला विधिक सेवा प्राधिकार में आवेदन दे सकते हैं।
2. प्रतिकर (मुआवजा) हेतु न्यायालय भी संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकार को अनुशंसा कर सकता है। आवेदन देने या अनुशंसा प्राप्त होने के दो माह के अन्दर जिला विधिक सेवा प्राधिकार जांचोपरांत इस योजना के तहत मुआवजा का आदेश करेगा।

## महत्वपूर्ण तथ्य :-

1. इस योजना के अंतर्गत प्रतिकर (मुआवजा) में दी जाने वाली राशि इस शर्त्त के साथ दी जायेगी कि यदि सक्षम न्यायालय बाद में अभियुक्त को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 357(3) में प्रतिकर (मुआवजा) देने का आदेश किया है तो पीड़ित/दावेदार प्रतिकर के राशि के बराबर अथवा वह राशि जो न्यायालय ने धारा 357(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता में मुआवजा के रूप में देने का आदेश किया है, उन दोनों में जो भी कम होगा, उसे लौटा देगा। इस आशय का पीड़ित/दावेदार को मुआवजा की राशि के भुगतान के पूर्व वचन देना होगा।
2. प्रतिकर (मुआवजा) की राशि का निर्धारण पीड़ित को हुए क्षति, उसके चिकित्सा में हुए खर्च एवं पुनर्वास हेतु न्यूनतम आवश्यक राशि - जिसमें अंतिम संस्कार का खर्च भी शामिल है - के आधार पर होता है। परन्तु प्रतिकर (मुआवजा) की यह राशि इस योजना के अनुसूची-1 में दर्शाये गये अधिकतम राशि से ज्यादा नहीं होगी।
3. उक्त अपराध के संबंध में पीड़ित द्वारा राज्य सरकार से बीमा, अनुग्रह राशि या किसी अधिनियम या राज्य संचालित योजनान्तर्गत प्राप्त की हुई राशि को इस योजना के अंतर्गत प्रतिकर की राशि का भाग समझा जायेगा तथा यदि इस योजनान्तर्गत मुआवजा की तय की गई राशि पीड़िता को उपरोक्त स्त्रोत से प्राप्त राशि से ज्यादा है तो शेष राशि इस योजना की निधि से दी जायेगी।
4. जिला विधिक सेवा प्राधिकार पीड़ित की पीड़ा कम करने हेतु उसे तात्कालिक रूप से प्राथमिक चिकित्सकीय सहायता तथा मुफ्त चिकित्सा लाभ या अन्य कोई अंतरिम सहायता जो उचित अथवा जरूरी प्रतीत होता है, को देने का आदेश पारित कर सकता है, यदि इस आशय का अनुशंसा / प्रमाण पत्र किसी पुलिस पदाधिकारी (थाना प्रभारी या उच्च स्तर का) या उक्त क्षेत्र के दण्डाधिकारी द्वारा प्रदान किया गया हो।

## अपील का प्रावधान :-

यदि जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा प्रतिकर (मुआवजा) का दावा खारिज किया जाता है तो असंतुष्ठ पीड़ित राज्य सरकार होते हैं, उनके समक्ष अपील दायर कर सकता है। अपील आदेश पारित होने के 90 दिनों के अंदर किया जा सकता है। परन्तु राज्य समिति उचित कारण दर्शाये जाने पर विलम्ब को शिथिल कर सकता है।

**अनुसूची**

| क्र० | क्षति या चोट का विवरण | प्रतिकर ( मुआवजा ) की अधिकतम सीमा |
|---|---|---|
| 1. | जीवन की क्षति | 2,00,000/- |
| 2. | शरीर के किसी अंग या भाग की क्षति जिसके वजह से 80% या ज्यादा की विकलांगता हुई हो | 50,000/- |
| 3. | शरीर के किसी अंग या भाग की क्षति जिसके वजह से 40% या अधिक परन्तु 80% से कम विकलांगता हुई हो। | 20,000/- |
| 4. | अवयस्क से बलात्कार | 50,000/- |
| 5. | बलात्कार | 20,000/- |
| 6. | पुनर्वास | 20,000/- |
| 7. | शरीर के किसी अंग या भाग की क्षति जिसके वजह से 40% की विकलांगता हुई हो। | 10,000/- |
| 8. | चोट या क्षति जिसमें मानव तस्करी से पीड़ित महिला या बाल पीड़ित को गंभीर मानसिक पीड़ा हुई हो। | 10,000/- |
| 9. | बाल-पीड़ित को साधारण चोट या क्षति | 10,000/- |
| 10. | तेजाब हमले से पीड़िता | 3,00,000/- |

# झारखण्ड पीड़ित कल्याण कोष नियमावली, 2014

जेल में सजायफ्ता बन्दियों को काम के एवज में मेहनताना दिया जाता है जो कुशल श्रमिकों को 46 रूपया प्रतिदिन, अर्द्धकुशल को 28 रूपया प्रतिदिन तथा अकुशल श्रमिक के लिए 14 रूपया प्रतिदिन है। झारखण्ड पीड़ित कल्याण कोष नियमावली 2014 यह व्यवस्था करती है कि सजाफ्यताबंदी के द्वारा अर्जित मेहनताना की एक तिहाई पीड़ित कल्याण कोष में जमा की जायेगी।

## अनुशंसा समिति :-

जिला स्तर पर जिला स्तरीय समिति का गठन किया जायेगा। यह समिति पीड़ित या उनके वारिसान को मुआवजा का भुगतान सुनिश्चित करेगी। इस कमिटी में ये लोग होगें -

| | | |
|---|---|---|
| उपायुक्त | - | अध्यक्ष |
| पुलिस अधीक्षक | - | सदस्य |
| सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार | - | विशेष आमंत्रित सदस्य |
| संबंधित जिला अधीक्षक | - | सदस्य सचिव |
| संबंधित प्रधान परीवीक्षा पदाधिकारी | - | सदस्य |

## अनुशंसा समिति की बैठक :-

यह समिति प्रत्येक तीन माह में एक बार अवश्य बैठेगी। जिसमें पीड़ित अथवा उनके वारिस का पहचान किया जायेगा। जिन्हें पीड़ित कल्याण कोष से मुआवजा दिया जायेगा। अगर एक से ज्यादा पीड़ित या वारिस हैं तो मुआवजा की राशि बराबर-बराबर बांट दी जायेगी।

## मुआवजा के लिए आवेदन :-

पीड़ित या उसके वारिस विहित प्रपत्र में आवेदन संबंधित जेल अधीक्षक के समक्ष करेंगे।

## आवेदन का विहित प्रपत्र

1. आवेदक का नाम एवं पता : .....
2. पीड़ित/मृतक का नाम : .....
3. आवेदक का पीड़ित से संबंध : .....
4. उम्र : .....
5. सजायाफ्ता बंदी का नाम : .....
6. थाना कांड संख्या तथा विचारण संख्या उस बंदी का : .....
7. न्यायालय का नाम : .....
   (क) जिसने आदेश पारित किया है : .....
   (ख) आदेश की तिथि : .....
   (ग) आदेश संक्षप में : .....
   (घ) आदेश के विरूद्ध अपील की स्थिति : .....
   (ङ) अपीली अदालत के आदेश का विवरण : .....

आवेदक का हस्ताक्षर

## आवेदन देने के पश्चात् की प्रक्रिया :-

1. पीड़ित या उसके वारिस से आवेदन प्राप्त होने के पश्चात् संबंधित जेल अधीक्षक उक्त आवेदन को संबंधित पुलिस अधीक्षक तथा प्रधान परीवीक्षा पदाधिकारी को पीड़ित या वारिस के निर्धारण तथा पहचान हेतु अग्रसारित करेगी तथा उन दोनों के प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद जेल अधीक्षक उक्त आवेदन को प्राप्त प्रतिवेदनों के साथ सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार के पास समीक्षा हेतु भेजेंगे तथा उक्त समीक्षा के प्राप्त होने के बाद उसे अनुशंसा समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

   मुआवजा का भुगतान कारा महानिरीक्षक के अनुमोदन के पश्चात् किया जायेगा।

## महत्वपूर्ण :-

पीड़ित अथवा उसके वारिस मुआवजा के लिए दावा बंदी के जेल में छूटने के पश्चात् ही कर सकेंगे।

## अनुपालक प्रतिवेदन :-

राष्ट्रीयकृत बैकों में पीड़ित कल्याण कोष के नाम से खाता खोला जायेगा। जिसका संचालन संबंधित जेल अधीक्षक करेंगे। प्रत्येक जेल अधीक्षक हर तिमाही कारामहानिरीक्षक को प्रतिवेदन समर्पित करेंगे जिसे अवलोकनार्थ गृह विभाग के समक्ष भी प्रस्तुत किया जायेगा।

**महत्वपूर्ण तथ्य :-**

❖ यह जानकारी केवल जनजागरूकता के लिए दी जा रही है तथा कोई भी दावा प्रस्तुत करने से पूर्व मूल योजना द्रष्टव्य है।

**सूचना एवं सहायता के लिए कहा संपर्क करें :-**

❖ सभी तरह की जानकारी तथा मदद के लिए (मदद के तहत विहित प्रपत्र उपलब्ध करना, उसे भरने में मदद करना तथा उसे सक्षम अधिकारी के पास प्रस्तुत करना शामिल है।) निकटतम अनुमंडल विधिक सेवा समिति / जिला विधिक सेवा प्राधिकार से सम्पर्क किया जा सकता है। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष / सचिव का मोबाइल नं० तथा अनुमंडल विधिक सेवा समिति के सचिव का मोबाइल नं० झारखण्ड विधिक सेवा प्राधिकार के वेबसाइट www.jhalsa.org पर उपलब्ध है।

❖ हर तरह के सहायता के लिए कृपया सदस्या सचिव (मोबाइल - 08986601912) अथवा उपसचिव (मोबाइल - 09431387340), झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार से संपर्क करें। झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार राँची का विस्तृत विवरण यह है :

पता-न्याय सदन, झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार (झालसा), महालेखाकार, कार्यालय के समीप, डोरण्डा, राँची-834002, फैक्स-0651-2482397, टेलीफोन - 0651-2482392, 2482030, 2481520, ई-मेल- jhalsaranchi@gmail.com

❑❑❑

**प्रकाशन वर्ष : 2016**